आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

29/8/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-788/2014-15

मुनिया देवी,.....आवेदक।

बनाम्

संजय कुमार सिंह, ... विपक्षीगण।

आदेश

आवेदिका मुनिया देवी, पति–स्व० सुदीप उराँव, निवासी ग्राम–हेसल, थाना–सुखदेव नगर, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदिका ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन विपक्षी संजय कुमार सिंह, पिता–स्व० रामश्रय प्रसाद, ग्राम–हेसल, थाना–सुखदेव नगर, जिला–राँची द्वारा छल–प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
हेसल	202	90	596	$01\frac{1}{2}$ कट्ठा

यह आवेदिका की खतियानी जमीन है। आवेदिका ने अपने शपथ–पत्र में वंशावली दाखिल किये हैं, इसमें राम उराँव को अपना वंशज दर्शाए हैं। राम उराँव के दो पुत्र महादेव उराँव, सुदीप उराँव थे। सुदीप उराँव अपने पीछे मुनिया देवी (आवेदिका) को छोड़ गये है। आवेदिका अपने आवेदन में कहती हैं कि विपक्षी संजय कुमार सिंह, पिता–स्व० रामश्रय प्रसाद के द्वारा मेरे $01\frac{1}{2}$ कट्ठा भूमि को जबरन छल–प्रपंच कर हड़प लिए है। मैंने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत भू–वापसी के लिए यह केस किया है। इसी आधार पर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया।

विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल किया गया है। इसमें कहते हैं कि यह वाद जो वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत लाया गया है, यह चलने योग्य नहीं है। विपक्षीगण का वर्णित भूमि पर Adverse Position

29/8/25

कृ०पृ०उल्टे

29/8/25

है, तथा यह वाद कालबाधित है। विपक्षी का इस जमीन पर दावा बनता है, इसलिए यह जमीन वापस नही होना चाहिए। खतियानी रैयत द्वारा वर्णित भूमि जमींदार मुकुन्द शहदेव, पिता–दयाल नाथ शहदेव को Surrender कर दिया गया। इसके पश्चात् जमींदार का दखल–कब्जा प्रश्नगत् जमीन पर हो गया, दिनांक–17.03.1940 ई० को संजय कुमार सिंह, पिता–स्व० रामश्रय प्रसाद को $01\frac{1}{2}$ कट्ठा जमीन को बन्दोबस्त कर दिए। इसके बाद विपक्षी दखल–कब्जा के साथ घर–मकान बनाकर रह रहे हैं। विपक्षी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" का उल्लघंन नहीं किया है। यह वाद कालबाधित है, अतः इस वाद को खारिज किया जाए। विपक्षी की ओर से हुकुमनामा, राँची नगर निगम, राँची का हॉल्डिग रसीद, लाल कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल की छायाप्रति दाखिल किया गया।

आवेदिका की ओर से दो गवाह प्रस्तुत किये गये। गवाह सं०–01 मुनिया देवी पति–स्व० सुदीप उराँव अपने शपथ–पत्र में कहते हैं कि विपक्षी को मैं जानती हूँ। यह खतियान राम उराँव के नाम से है। विपक्षी ने मेरे जमीन को कैसे लिया, मुझे मालूम नहीं है। यह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि वर्णित भूमि में खतियानी रैयत मेरे दादा ससुर है तथा जमीन पर कच्चा मकान बना हुआ है।

गवाह सं०–02 रेशमा तिर्की, पिता–स्व० सुदीप उराँव अपने शपथ–पत्र में कहते हैं कि मैं विपक्षी को जानती हूँ। विवादित जमीन पर मकान बना हुआ। खतियानी रैयत राम उराँव के नाम से है। विवादित जमीन विकास नगर हेसल में है, जिसका खाता सं०–91, प्लॉट नं०–596 रकबा–$01\frac{1}{2}$ कट्ठा है।

विपक्षी की ओर से गवाह सं०–01, मुरली शर्मा, पिता–स्व० गोवर्धन शर्मा अपने शपथ–पत्र में कहते हैं कि विपक्षी को मैं जानता हूँ। मुनिया देवी ने जमीन वापसी के लिए केस किया है। जमीन पर मकान बना हुआ है, जिस पर 05 लाख रूपया खर्च हुआ है। आवेदक को मैं 40 वर्षो से जानता हूँ। आवेदिका के पति सुदीप उराँव को 30 वर्ष से जानता हूँ। गवाह सं०–02, संजय कुमार सिंह, पिता–स्व० रामश्रय सिंह कहते है कि आवेदिका ने भू–वापसी का केस किया है, मिट्टी का मकान को तोड़कर पक्का मकान बनाया गया है, जिसपर लगभग 5,00,000 (पाँच लाख) रूपया खर्च हुआ है। मेरे पिताजी जमीन लिए थे। जमीन कैसे लिए पता नहीं है। खतियान में सुदीप उराँव का

29/8/25

कृ०पृ०उल्टे

नाम दर्ज है।

29/8/25

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया साथ ही लिखित बहस भी दाखिल किया गया है, इसमें कहते हैं कि यह वाद आवेदिका के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत विपक्षी के विरूद्ध वाद दायर किया गया है। आवेदिका का कहना हैं कि वर्णित भूमि पर विपक्षीगण ने जबरन कब्जा कर लिया है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत आवेदिका को जमीन वापस होना चाहिए।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया साथ ही लिखित बहस भी दाखिल किया गया है, इसमें कहते हैं कि प्रश्नगत् भूमि पर जो वाद लाया गया है, वह चलने योग्य नहीं है। यह जमीन कृषि योग्य भूमि नहीं बल्कि छप्परबंदी है। जिस पर विपक्षी घर–मकान बनाकर 56 वर्षो से रह रहे तथा बिजली कनेक्शन के बिल का भुगतान कर रहे हैं। विपक्षी को दिनांक–19.05.1945 ई० में बन्दोबस्त किया गया। आगे कहते हैं कि छप्परबंदी जमीन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" लागु नहीं होता है। यह वाद 50 वर्षो बाद लाया गया है, अतः यह वाद कालबाधित है। जमीन पर घर–बाड़ी बना हुआ है एवं रहने योग्य है। विपक्षी 1940–45 से घर मकान बनाकर रह रहे हैं। जिस पर लगभग 2,00,000 रूपया खर्च हुआ है। अतः आवेदिका के आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए। इस संबंध में विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विभिन्न केस का हवाला दिए। जो इस प्रकार हैः–

"2000(4) Supreme 583, Hon'ble Supreme Court of India **Jai Mangal Oraon Vs Mira Nayak others."**

"Patna High Court (Ranchi Bench) C.W.J.C No. 147 of 1981 **Baijnath Agarwala VS State of Bihar and other."**

Patna High Court (Ranchi Bench) C.W.J.C No 125 of 1982 (R) **Baijnath Sao Vs Sta State of Bihar and other."**

विद्वान सरकारी अधिवक्ता की ओर से बहस किया गया, इसमें कहते हैं कि प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खाते की है। छप्परबंदी भूमि से संबंधित कोई भी दस्तावेज विपक्षी की ओर से दाखिल नहीं किया गया है। अतः यह जमीन छप्परबंदी नहीं है विपक्षीगण द्वारा जो भी निबंधित पट्टा दाखिल किये हैं वह दूसरे प्लॉट का पट्टा है, इसलिए यह वैध दस्तावेज नहीं है। अतः आवेदिका को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के

29/8/25

कृ०पृ०उल्टे

अंतर्गत जमीन वापस होना चाहिए।

अतः दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने और कागजातों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह जमीन छप्परबंदी नहीं है। विपक्षीगण की ओर से कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिससे प्रमाणित हो की वर्णित भूमि छप्परबंदी है। अतः इस निष्कर्ष पर पहूँचे हैं कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत विपक्षीगण को भूमि से बेदखल करते हुए आवेदिका की जमीन वापस की जाती है। विपक्षीगण को यह आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि पर यदि कोई संरचना हो तो उसे 03 माह के अंदर विपक्षी हटा ले।

तदनुसार अंचल अधिकारी, हेहल को दखल–देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत् भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु आवेदिका सहित आवेदिका के अन्य वैध वंशजो को दखल–देहानी दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

29/8/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

29/8/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांकः– 310 (ii) **दिनांकः–** 29/08/25

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, हेहल, राँची को प्रश्नगत भूमि पर वैध वंशजों को दखल–देहानी हेतु प्रेषित।

29/8/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.10.11 16:14:05 +05:30
Location: 192.168.132.39